छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 1464/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि को एस.एन.ए. खाते में समय सीमा में जमा करने बाबत।

संदर्भ :– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन एफ.क्र. 1(23)/पीएफएमएस/एफसीडी/2022 दिनांक 07.07.2022 एवं वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. 522/75/ PFMS/ब–4/चार, दिनांक 23.03.2022

——000——

भारत सरकार के संदर्भित कार्यालयीन ज्ञापन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2022 या उससे पूर्व राज्य के खाते में जारी किये गये राशि को दिनांक 20.07.2022 तक एस. एन. ए. खाते में जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में राशि हस्तांतरित नहीं करने की दशा में ऐसी केन्द्रांश राशि को भारत सरकार की संचित निधि में आर.बी.आई. एडवाइस के द्वारा जमा किया जाना होगा।

ज्ञातव्य है कि वित्त निर्देश 06/2012 द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश/राज्यांश विमुक्त करने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का है एवं इसके लिये नस्ती वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अतः भारत सरकार का संदर्भित ज्ञापन संलग्न कर विभागों को समय सीमा में अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1465/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2022

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर
6. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी.एफ.एम.एस. ,राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इन्द्रावती भवन नवा रायपुर
7. समस्त वरिष्ठ कोषालय/ कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., अटल नगर, नवा रायपुर
9. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

F. No. 1(33)/PFMS/2022
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block,
New Delhi, 7th July, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released – Guidelines regarding return of the Central share released to the State treasury but not released further to the SNA account within the stipulated time frame.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 1(33)PFMS/2022 dated 20th May, 2022 on the above mentioned subject.

2. In view of the references received from Ministries/Departments and from the State Governments, a onetime relaxation from the DoE's instructions issued vide OM dated 20th May, 2022 is granted to the States/UTs to transfer the central share received on or before 31st March, 2022 under a CSS to the SNA account by 20th July, 2022 failing which such central share shall be returned to the CFI by the State Government through RBI advice.

3. This issues with the approval of competent authority.

(Prateek Kumar Singh)
Director
Tel. No. 23094961

To

1. Secretaries of all Departments/Ministries, Government of India
2. Chief Secretaries of all States/UTs with Legislature
3. Financial Advisers of all Ministries of Government of India
4. Addl. CGA (PFMS), O/o CGA, INA, New Delhi